संचिका संख्या-3ए-09-विविध-18/2011.........10254/वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

शिव शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष, बिहार ।
पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार

पटना, दिनांक 10/XII/15

विषय :- बिहार सेवा संहिता के नियम-234, कंडिका-2 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- **महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना का पत्रांक-जी०ई०-09-BPS-V-Singh-18-2482, दिनांक 04.11.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार सेवा संहिता के नियम-234 में रूपान्तरित छुट्टी का प्रावधान किया गया है । इस नियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि रूपान्तरित छुट्टी, उपार्जित छुट्टी के साथ मिलाई जा सकती है, किन्तु उत्कृष्ट सेवा के सरकारी सेवकों के लिए 180 दिन तक ही सीमित रहेगा ।

उक्त प्रावधान को स्पष्ट करते हुए कहना है कि यदि कोई कर्मचारी/पदाधिकारी बीमारी के कारण रूपान्तरित अवकाश पर प्रस्थान करता है तथा रूपान्तरित अवकाश के साथ उपार्जित अवकाश का भी उपभोग करना चाहता है तो वह अपने अर्जित अवकाश का उपभोग कर सकता है लेकिन रूपान्तरित अवकाश एवं उपार्जित अवकाश का योग 180 दिनों से अधिक नहीं होगा । उपभोग किया गया शेष उपार्जित अवकाश को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाएगा ।

विश्वासभाजन
10/12

(शिव शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव, वित्त विभाग